2026:AHC:126428

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **- 17838 / 2026**

दीपक .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	संजय कुमार श्रीवास्तव
विपक्षी के अधिवक्ता	:	सरकारी अधिवक्ता

<u>न्यायालय संख्या **- 5**</u>

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 81 / 2026, अंतर्गत धारा 61(2), 125, 351(2), 231 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना- लोहिया नगर, जिला- मेरठ में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध रकमपाल के पुत्र प्रदीप कुमार द्वारा इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि उसने प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र दीपक की हत्या करने के इरादे से उस पर गोली चलाई। तदुपरान्त, बी.एन.एस. की धारा 109(1) और 352(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घायल दीपक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलीभगत करके नामजद अभियुक्त प्रदीप को उसकी हत्या के प्रयास के अपराध में झूठा फंसाने का प्रयास किया था। घायल दीपक और सह-अभियुक्त हर्ष भारद्वाज के बयानों के आधार पर यह संज्ञान में आया कि दीपक ने स्वयं अपनी बांह पर गोली मारकर खुद को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया था ताकि नामजद अभियुक्त प्रदीप को झूठा फंसाया जा सके। अन्वेषण के दौरान, उक्त अपराध के लिए नामजद अभियुक्त प्रदीप की दोषसिद्धि सुरक्षित करने के उद्देश्य से साक्ष्य गढ़ने/बनाने के कारण वर्तमान आवेदक को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया। वर्तमान आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की बहन और नामजद अभियुक्त प्रदीप के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण आवेदक और नामजद अभियुक्त प्रदीप के बीच कुछ विवाद हुआ था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक स्वयं पीड़ित है और उसे वर्तमान मामले में केवल उसके इकबालिया बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है, जो कानून की नजर में सही नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त हर्ष भारद्वाज को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10297 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

है और वह दिनांक 14.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर मुक्त किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, परंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने तथा एफआईआर की अंतर्वस्तु एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. उपरोक्त केस अपराध में संलिप्त आवेदक- दीपक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक लाख रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं कारित करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसके समान अपराध का वह अभियुक्त है, या जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप विरचन और (3) धारा 313 सीआर.पी.सी. / 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, जे.)

9 जून, 2026

जीएसएस

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"